उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः 2831**/यू.पी.रेरा/विधि/2025** **दिनांकः**28 03**/2025**

<u>कार्यालय–आदेश</u>

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की मा. पीठों में संस्थित परिवादों की पैरवी हेतु पक्षकारो द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि यथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट, कम्पनी सचिव, लागत लेखापाल, विधि व्यवसायी द्वारा जो प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें उचित फीस नहीं लगायी जा रही है, जो विधिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची 2 के संख्यांक 10 (ग) में **यह प्राविधानित है कि मा.** उच्च न्यायालय, मुख्य आयुक्त राजस्व बोर्ड या अन्य मुख्य नियन्त्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी के यहाँ **'वकील अटार्नी या प्लीडर'**, जो यह संज्ञानित कर या प्रज्ञापित करे कि वह पक्षकार द्वारा प्रतिधारित किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित **'मुख्तारनामा वकालतनामा'** या कोई कागजात पेश किया जाता है, तो उसकी उचित कोर्ट फीस पाँच रूपये निर्धारित है।

अतः पक्षकारों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि यथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट, कम्पनी सचिव, लागत लेखापाल, विधि व्यवसायी द्वारा जो भी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर रू.5.00 का कोर्ट फीस लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश 01 अप्रैल, 2025 से प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रकार के प्राधिकार पत्रों पर लागू होगें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अध्यक्ष

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. समस्त मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ।
2. न्यायनिर्णायक अधिकारीगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. संयुक्त सचिव एवं उपसचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. सहायक निदेशक सिस्टम्स/सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. विधि परामर्शदाता, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. उ.प्र. रेरा की समस्त मा. पीठों में आबद्ध कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

28/3/2025

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव